2022/340

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री परिक्षित मिश्रा
निवासी सबगुरू न्यूज पंचवटी कॉलोनी
अनादरा चौराहा सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 60 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो उस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाव । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 17.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 01.01.2019 से 14.06.2022 तक जारी किए गए निर्माण सामग्री के टोकन की सूची एवं निर्माण सामग्री के टोकनों के लाभार्थियों के मरम्मत की अनुमति से पूर्व की तकनीकी रिपोर्ट व नोटशीट की प्रमाणित प्रति एवं निर्माण सामग्री दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों की सूची निकालने के आदेश की प्रति एवं उक्त अवधि में तोडे गए अवैध निर्माणों के मालिको को जारी किए गए नोटिस एवं प्रक्रिया की सूची की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 17.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 01.01.2019 से 14.06.2022 तक जारी किए गए निर्माण सामग्री के टोकन की सूची एवं निर्माण सामग्री के टोकनों के लाभार्थियों के मरम्मत की अनुमति से पूर्व की तकनीकी रिपोर्ट व नोटशीट की प्रमाणित प्रति एवं निर्माण सामग्री दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों की सूची निकालने के आदेश की प्रति एवं उक्त अवधि में तोडे गए अवैध निर्माणों के मालिको को जारी किए गए नोटिस एवं प्रक्रिया की सूची की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 865 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है [illegible] अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि [illegible] नियमों से संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर [illegible] निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner